

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 57/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 16.10.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा बोर्ड द्वारा निर्गमित अधिसूचना सं. 74/2016-सीमा शुल्क(गै.टै.) दिनांक 18.05.2016, का.आ.1803(अ) दिनांक 18.05.2016 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.5 को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

क्र.सं.	नोटिसी का नाम एवं पता (मै.)	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	आदेश/ अधिसूचना सं. और दिनांक	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	जगराओं एक्सपोर्ट्स, D-51, फोकल पॉइंट, फेस-V, लुधियाना और 18 अन्य	डीआरआई फ़ा. सं. 856(41) LDH/2005 दिनांक 06.08.2007.	पूर्व आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात संवर्धन), न्यू कस्टम हाउस, बललाई इस्टेट, मुंबई. पूर्व आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), कस्टम हाउस, चेन्नई. पूर्व आयुक्त सीमाशुल्क, द मॉल, अमृतसर.	आदेश दिनांक 02.01.2012 (फ़ा. सं. 437/21/2011-Cus- IV)	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क(निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, बललाई इस्टेट, मुंबई.

[फ़ा.सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-38/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क(निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई
2. अपर महानिदेशक, डीआरआई-लुधियाना को उनके पत्र फ़ा सं 856(46) Ldh/2005/918 दिनांक 21.09.2020 के संबंध में और इस अनुरोध के साथ कि नोटिसियों को इस अधिसूचना के संदर्भ में सूचित करें.